

The 815th meeting of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) was held on 29th July, 2025 under the Chairmanship of Shri Rakesh Kumar Shrivastava for the projects which are scheduled in the agenda. Following members attended the meeting in person or through video conferencing -

1. Shri Vijay Kumar Ahirwar, Member.
2. Dr. Rakesh Kumar Pandey, Member.
3. Dr. Pallavee Bhatnagar, Member.
4. Dr. Sunita Singh, Member.
5. Dr. Sushil Manderia, Member.

The Chairman welcomed all the members of the State Expert Appraisal Committee. Before presentation of agenda items- wise the committee discussed and decided to consider the following issues: -

- Fee is being deposited at SEIAA Secretariate, so adequacy of fee shall be verified by SEIAA Secretariate.
- In all cases the project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024 , MOEF&C's O.M. dated 14.01.2025 & O.M. dated 26.05.2025 wrt plantation, comments of MPPCB and violation cases respectively.

After the above discussion the Hon'ble Chairman invited the Project Proponents Environmental Consultants for presentation according to scheduled agenda.

1. **Case No P2/898/2024 Shri ASHOK GUPTA, R/o -Madhav rao Enclave, thatipur Gwalior DistGwalior (M.P.) Prior Environment Clearance for Rafadpur Stone Quarry at Khasra No: 143, Area -0.8 ha (Production- 35,010 Cum per year) Village: Rafadpur Tehsil : Dobra District: Gwalior State: Madhya Pradesh [538361] (Amendment ToR)**

The case was presented by Environmental Consultant Mr. Varun Bhardwaj from M/s. Zenith Environment Consultancy, Noida (U.P.) behalf of PP submitted that earlier TOR was granted in the name Shri Ashok Gupta but due to death of PP, his son **Shri Amit Gupta S/o Late Ashok Gupta R/o Madhavrao Sindhiya Enclave Thatipur, Gwalior (M.P.)** has applied for change of name as PP for **Amendment in** Standard ToR Dated 12/05/2024. PP has uploaded the Transfer Certificate and the Ekal in the name of the new PP, Amit Gupta. Information regarding project uploaded on the Parivesh Portal 2.0 are as under.

SN	Projects Details- Case No.- P2/898/2024.	
1.	Online Proposal No	<u>SIA/MP/MIN/538361/2025 .</u>
2.	Proposal /Activity Name	Shri Amit Gupta S/o Late Shri ASHOK GUPTA, R/o -Madhav Rao Enclave, Thatipur Gwalior Dist-Gwalior (M.P.) – 474011. Prior Environment Clearance for M/s Rafadpur stone mine, Stone Mining - 35,010 Cum per year. at Khasra No: 143, Village - Rafadpur Tehsil - Dabra District - Gwalior (M.P.). (Ammndment in ToR). <u>SIA/MP/MIN/538361/2025 .</u>
3.	Type of Proposal	Amendment (Change in Name).
4.	Description of Project	Khasra No: 143 Village: Rafadpur Tehsil : Dobra District: Gwalior (M.P.).
5.	ISa/kkfrd lgefr	dk;kZy; [kfut 'kk[kk] ftyk Xokfy;j ds Ik= dz0- 1282 fn0-25@02@2017-
6.	ToR	Standard ToR Dated 12/05/2024
7.	पूरक अनुबंध पत्र	कार्यालय खनिज शाखा, जिला ग्वालियर के पूरक अनुबंध पत्र दि0. 02/04/2025. (Ashok Gupta has been expired and the lease has been transferred to his son Amit Gupta).

8.	परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 943 दिनांक 15/05/2025 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 23 अन्य खदान स्वीकृत है जिनका कुल रकबा 41.902 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
9.	परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 943 दिनांक 15/05/2025 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
10.	परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 943 दिनांक 15/05/2025 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, पैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि संबंधी जानकारी नहीं है।

Env Consultant submitted following case details/ Chronology :

Sr No.	Particulars	Date
1.	Initial Saidhantik Letter (To Ashok Gupta)	From 11.07.2017 To 10.07.2027
2.	Tor Application SIA/MP/MIN/471436/2024	02/05/2024
3.	Death of Ashok Gupta	11.11.2024
4.	Tor Amendment Application SIA/MP/MIN/538361/2025	20/05/2025

In the above context Committee accepted the request made by PP and recommended to issue amended ToR with additional AAQ monitoring condition.

- Ambient Air Quality Monitoring on following locations be conducted for one season :-

Three monitoring station one each at nearby villages i.e. Billaua, Rafatpur & Chirpura. Two monitoring station one each at main evacuation road and Billaua village road. Three monitoring station i.e. one at windward direction and two at leeward direction. Three monitoring station within the cluster area near installed crushers. One monitoring station close to water body i.e. Udalpara Tal.

- Standard TOR issued with additional condition shall be read in the name of **Shri Amit Gupta S/o Late Ashok Gupta R/o Madhavrao Sindhiya Enclave Thatipur, Gwalior (M.P.)**. Remaining conditions of the standard ToR issued shall remain un-changed .

2. Case No P2/1622/2025 Shri Karanjeet Singh Keer, Project proponent, R/O KEER MENSION LALBAGH ROAD TEHSIL-BURHANPUR DIST-BURHANPUR MP. Prior Environment Clearance for Bada Jainabad Stone (Gitti) Quarry, area 2.880 ha. (Stone - 10000 cum per year) at Khasra Number- 185,186/1/2, 186/2/1 Village Bada Jainabad, Tehsil Neapanagar, District Burhanpur (M.P.) [526016] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 29/7/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, M/s Zenith Environment Consultancy, Noida (U.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Karanjeet Singh Keer, Project proponent, R/O KEER MENSION LALBAGH ROAD TEHSIL-BURHANPUR DIST-BURHANPUR MP	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	185,186/1/2,186/2/1 (निजी भूमि)	2.880 hectare.
स्थल	ग्राम बाडा जैनाबाद, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 68 दिनांक 24/01/2025 के द्वारा स्वीकृत।	
सिया ईसी	सिया का पत्र क्रमांक 2972 दिनांक 03/7/2015	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	नया	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा Outward No:29055 दिनांक 13/05/2025 जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता Consent to Establish upto for setting up of an Crusher / mine	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर- 10000 घनमीटरप्रतिवर्ष/ हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर- 10000 घनमीटरप्रतिवर्ष/ है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 130 दिनांक 14/2/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण / एसईजेडसे दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 130 दिनांक 14/2/2025 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
प्रस्तावित स्थल से 250	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 130	

मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	दिनांक 14/2/2025 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 130 दिनांक 14/2/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत बाडा जैनाबाद जिला बुरहानपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 02/10/2024 है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existing within lease area-No
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- कच्चा रोड 76 मी. एवं आबादी उत्तर पूर्व दिशा में 492 मी. पूर्व दिशा- प्राकृतिक नाला- 46 मी.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 130 दिनांक 14/2/2025 के उक्त उत्खनिपट्टे को नवीन जिला सर्वेक्षण में सम्मिलित कर लिया जावेगा

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति को अवगत कराया गया है कि पूर्व में इस प्रकरण को सिया के प्रकरण क्रमांक 2436/2015 द्वारा पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 03/07/15 को उत्पादन क्षमता 19380 घन मीटर प्रति वर्ष, एरिया 2.030 हे. श्री रमनजीत के नाम से प्रदाय की गई थी। वर्तमान परियोजना प्रस्तावक श्री करनजीत सिंह द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु नवीन आवेदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता Stone -10000 घनमीटरप्रतिवर्ष/ परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में कशर प्रस्तावित है। म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित कशर /एम सैंड प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी।
2. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायों/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु.10.64 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 3.47 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 3.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
Regarding installation of 03 Kw Solar Panel Govt. Naveen Middle School Hingani	2,30,000
Will provide shed & water facility at Cremation Ground, Village Bada Jainbad	40,000
The project proponent will arrange for nature- themed paintings to be created at the Govt. Naveen Middle School Hingani	30,000
Total	3,00,000

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2880 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

3. Case No P2/1623/2025 Shri GIRIRAJ BHALOT, LEESSEE, Govindpura, Lakhera, Ward No. 12, Nalkhera Agar Malwa (M.P.) Prior Environment Clearance for NalKheda Stone (Gitti) and M-Sand Quarry area 1.0 ha. (Stone (Gitti) – 5000 cum per year and M-Sand 10,000 cum per year) (Khasra Number- 1532/1 Govt. Land) Village NalKheda, Tehsil NalKheda, District Agar Malwa (M.P.) [518458] (B2).

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 29/7/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार Smt Meena Chaurasiya FAE, M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri GIRIRAJ BHALOT, LEESSEE, Govindpura, Lakhera, Ward No. 12, Nalkhera Agar Malwa (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1532/1 (सरकारी भूमि)	2.0 hectare.
स्थल	ग्राम नलखेडा, तहसील नलखेडा, जिला आगर मालवा (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 3254 दिनांक 14/03/2024 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित नहीं है ।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा Outward No:21951 दिनांक 23/05/2025 जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता Consent to Establish for grant of EC	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन (गिट्टी) – 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम-सैंड 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन (गिट्टी) 5000 – घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम-सैंड 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के पत्र क्रमांक 407 दिनांक 21/5/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, जिसका कुल रकबा 3.0 हे. अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	

राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण एसईजेड /से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के पत्र क्रमांक 407 दिनांक 21/5/2024 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के पत्र क्रमांक 407 दिनांक 21/5/2024 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के पत्र क्रमांक 407 दिनांक 21/5/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में आवेदित भूमि कच्चा रास्ते से लगी है।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय नगर परिषद नलखेडा जिला आगर मालवा के संकल्प क्रमांक 34 दिनांक 19/01/2023 है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के पत्र क्रमांक 376 दिनांक 02/5/2024 के उक्त उत्खनिपट्टा स्वीकृत हो जाने के उपरांत नवीन जिला सर्वेक्षण में सम्मिलित कर लिया जावेगा

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र में कुल 28 पेड़ बेरियर जोन में स्थित हैं जो नहीं काटे जायेंगे तथा उत्तर पश्चिम दिशा में एचटी लाइन 270 मी. एवं दक्षिण पूर्व दिशा में 50 मी. की दूरी पर है। एक शेड पश्चिम दिशा में 406 मी. की दूरी पर है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन (गिट्टी) 5000 – घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम-सैंड 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।
 2. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
 3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में कशर /एम सैंड प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 14.56 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 2.87 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
शासकीय प्राथमिक शाला, ग्राम नलखेड़ा की मरम्मत एवं फर्नीचर (10 बेंच, डेस्क एवं 4 लकड़ी की कुर्सीया)	60,000

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 495 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

4. Case No P2/1621/2025 Ashutosh Temle, General Manager, M P STATE MINING CORPORATION, Block No. 1(A), Second Floor, Paryawas Bhawan, Arera Hills, Bhopal (M.P.). Prior Environment Clearance for Kari (Paniara Khera) Pyrophyllite and Diaspore, Stone Quarry area - 5.00 ha. (Pyrophyllite-18000 TPA) (Khasra No. Forest Compartment No.-48) Village- Kari Tehsil- Tikamgarh District Tikamgarh (M.P.).[539297] (DEIAA) (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 29/7/2025 को परियोजना प्रस्तावक श्री नागेन्द्र सिंह, मैनेजर, M P State Mining Corporation एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Smt. Meena Chaurasiya FAE Aseries Envirotek India Pvt Ltd, Lucknow उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री Ashutosh Temle, General Manager, M P STATE MINING CORPORATION, Block No. 1(A), Second Floor, Paryawas Bhawan, Arera Hills, Bhopal (M.P.).	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	Forest Compartment No.-48 (सरकारी-फॉरेस्ट लैंड)	5.00 hectare.
स्थल	Village- Kari Tehsil- Tikamgarh District Tikamgarh (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 682 दिनांक 05/07/2016 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Single Row Muffle Blasting.	
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 98 दिनांक 29/12/2016 के द्वारा Pyrophyllite- 18000 TPA हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित नहीं।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा दिनांक 02/03/2022 के द्वारा जारी संचालन सम्मति (सीटीओ) की वैधता दिनांक 28/02/2027 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Pyrophyllite- 18000 TPA हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Pyrophyllite- 18000 TPA है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1187 दिनांक 28/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	

राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण/ एसईजेड से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1187 दिनांक 28/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1187 दिनांक 28/12/2023 अनुसार उक्त क्षेत्र ग्राम कारी वनखण्ड पनियाराखेडा के कक्ष क्रमांक-48 में रकबा 5.00 हे. आरक्षित वन क्षेत्र अंतर्गत खनिपट्टा स्वीकृत है ।
तहसीलदार की अनापति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1187 दिनांक 28/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के पत्र दिनांक 26/10/23 के द्वारा ग्राम पंचायत से ठहराव प्रस्ताव/अनापति चाहा गया था जो पंचायत द्वारा नहीं दिया गया है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
	पश्चिम दिशा-
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-26 के सरल क्रमांक-13 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र में कुल 48 पेड़ हैं जिनमें से 32 पेड़ लीज क्षेत्र के मध्य में हैं एवं 16 पेड़ बेरियर जोन में है। बेरियर जोन में स्थित हैं जो नहीं काटे जायेंगे, लीज क्षेत्र में स्थित कुल पेड़ों से मात्र 02 पेड़ काटे जाने प्रस्तावित है। पूर्व दिशा में 10मी. की दूरी पर एक प्राकृतिक नाला है अतः 40 मी. का गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
---	----------------------------------

लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	टोटल लीज एरिया लेंथ 456.5मी. में से केवल 50 : (456.5m) फेन्सिंग का कार्य हुआ है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार 45 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाये जाने थे अर्थात् 225 अतः 225 पौधे लीज क्षेत्र के अन्दर रेस्ट शेल्टर के पास लगाये गये हैं।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई। टोटल गारलेण्ड लेंथ 556मी. में से केवल 203मी. गारलेण्ड ड्रेन बना हुआ है। 353मी. बाकी है। एवं सेटलिंग टैंक नहीं बना है।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	पिट्स अवलोकित नहीं है।
रेस्ट शेल्टर, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था की वर्तमान स्थिति	सभी सुविधाओं के साथ रेस्ट शेल्टर का निर्माण करवाया गया है। जिसमें शौचालय व पीने के पानी की व्यवस्था भी उपलब्ध है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्यों के अंतर्गत स्थानीय स्कूल की मरम्मत करवाई गई एवं छात्रों के लिए पुस्तकों का वितरण किया, परंतु इस संबंध में कोई भी प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए:-

- बेरियर जोन लीज क्षेत्र के तीनों ओर से सुरक्षित है परंतु एक ओर से खुदा हुआ है अतः भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08/01/2019 के पालनार्थ पुर्नभरण करवाकर वृक्षारोपण कर संरक्षित कराएं तथा प्रमाणिक पालन प्रतिवेदन जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत करें।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर पेज 04 में ईएमपी की जानकारी जो अपलोड की गई है वह प्रस्तुतीकरण के दौरान बताई गई जानकारी से भिन्न है अतः अद्यतन जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जावे।
- डिया द्वारा जारी ईसी शर्तों का पालन प्रमुख रूप से लीज एरिया के चारों ओर फेन्सिंग, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक का निर्माण पूर्ण कराकर जियोटेग फोटोग्राफ प्रस्तुत करें।

5. Case No P2/1625/2025 Shri Prem Singh, R/o Village - Ektapura Soikalan, Tehsil-& District Sheopur, (M.P.)- 476337. Prior Environment Clearance for Soikalan Soil Quarry, area of 1.337 hectare, production capacity of 1,800 m³/year , at Khasra No. - 1230/2 and 1231 (Pvt. land) Village - Soikalan, Tehsil- Sheopur District- Sheopur (M.P.).[539652] (B2)

प्रकरण आज सेक की प्रकरण आज सेक की 811वीं बैठक दिनांक 15/07/2025 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए एवं ऑनलाईन भी नहीं जुड़े। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से कोई सूचना भी प्राप्त नहीं है। प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

6. Case No P2/1626/2025 Shri KHALID MOHAMMED, Lessee, R/o- Village- Abupura, Tehsil- Alot, District-Ratlam, M.P. Prior Environment Clearance for Stone and M-Sand in an area of 2.00 ha. (Gitti – 9,000 cum per year and M-Sand 21,000 cum per year) (Khasra No. 298/1 Govt. Land), Village- Virpura, Tehsil Jaora, District-Ratlam (MP) [539699] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 29/7/2025 को परियोजना प्रस्तावक Shri KHALID MOHAMMED एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार श्री शिशुपाल वर्मा, FAE M/s Super Tech Environmental Services, Bhopal (M.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri KHALID MOHAMMED, Lessee, R/o- Village- Abupura, Tehsil- Alot, District-Ratlam, M.P.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	298/1 (सरकारी भूमि)	2.0 hectare.
स्थल	ग्राम वीरपुरा, तहसील जावरा, जिला रतलाम (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 986 दिनांक 26/07/2024 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	नया बी-2 श्रेणी का है	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा Outward No: 21971 दिनांक 28/05/2025 जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता Consent to Establish for grant	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन (गिटटी) – 9000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम-सैंड 21,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन (गिटटी) 9000 – घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम-सैंड 21,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 1233 दिनांक 05/9/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण /	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 1233 दिनांक	

एसईजेडसे दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	05/9/2024 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 1233 दिनांक 05/9/2024 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 1233 दिनांक 05/9/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में आवेदित भूमि कच्चा रास्ते से लगी है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत डुमाहेडा जिला रतलाम के के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 10 दिनांक 20/12/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Additional tree to be planted -
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा —उत्खनिपट्टे के उत्तर पूर्वी दिशा में 80 मीटर की दूरी पर अन्य खदान का साइट ऑफिस स्थित है। —उत्खनिपट्टे के उत्तर दिशा में 137 मीटर एवं 190 मीटर की दूरी पर कुछ स्ट्रक्चर परिलक्षित हो रहे हैं जिनके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त कमरे स्थानीय किसानों द्वारा अपने खेतों में सामान भूसा आदि रखने के लिए बनाये गए हैं जो कि जर्जर हालत में हैं जिनमें कोई निवास नहीं करता एवं उक्त के जी.पि.एस कोऑर्डिनेट्स वाले छायाचित्र प्रस्तुत किये गए पश्चिम दिशा— —उत्खनिपट्टे के पश्चिम दिशा 140 मीटर की दूरी पर एक पक्का रोड स्थित है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्खनिपट्टे में खनन कार्य बिना ब्लास्टिंग के रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा । — उत्खनिपट्टे के उत्तर पश्चिम दिशा में 340 मीटर पर एक स्ट्रक्चर परिलक्षित रहा है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि स्थानीय किसान द्वारा निजी खेत में शेड बना रखा है । दक्षिण दिशा— उत्खनिपट्टे से दक्षिण दिशा में लगभग 217 मीटर पर एक नाला स्थित है एवं उक्त नाले के ऊपर लगभग 360 मीटर की दूरी पर एक केसकैंड स्थित है । पश्चिम दिशा-
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 1233 दिनांक 05/9/2024 के उक्त उत्खनिपट्टा को अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण में सम्मिलित कर लिया जावेगा

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा पाया गया कि उत्खनिपट्टा खुदा हुआ परिलक्षित हो रहा है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि उक्त उत्खनिपट्टा प्रस्तावक के नाम पर जारी सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 20-04-2023 से पूर्व का खुदा हुआ है जो कि गूगल सैटेलाइट इमेज के माध्यम से बैक डेट करके देखा गया एवं खुदे हुए क्षेत्र को अनुमोदित खनन योजना के नक्शों में भी दर्शाया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुमति करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्पादन क्षमता – गिट्टी पत्थर 2000 घनमीटर/वर्ष एवं एम् सैंड – 8000 घनमीटर/वर्ष।
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में कशर /एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित कशर /एम सेंड प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी।
3. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 15.93 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 2.97 लाख प्रति वर्ष।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.30 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
1.	Solar panel system of 2.0 kw capacity will be installed at village primary school Pampapur along with covering of its open area and educational paintings on its wall.	1,30,000/-
	योग	1,30,000/-

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण।

7. Case No P2/1627/2025 Shri MAHESH CHOUHAN, Lease Owner, R/o- Diversion road, aarti ajenci ke pass, district- Khargone (M.P.) Prior Environment Clearance for Manawar Stone Quarry area 2.80 ha. (Stone – 14,550 cum per year) (Khasra No. 20/1 Govt. Land), Village- Manawar, Tehsil Khargone, District-Khargone (MP) [539429] (DEIAA) (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 29/7/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार Smt Meena Chaurasiya (FAE), M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri MAHESH CHOUHAN, Lease Owner, R/o- Diversion road, aarti ajenci ke pass, district- Khargone (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	20/1 (सरकारी भूमि)	2.80 hectare.
स्थल	ग्राम मनावर, तहसील खरगोन, जिला खरगोन (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 2759 दिनांक 25/11/2017 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया (डिया पत्र क्रमांक 237 दिनांक 20/12/2017)	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित नहीं है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की Outward No:25068 दिनांक 05/12/2022 वैधता दिनांक 05/7/2027 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 14,550 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 14,550 घनमीटर प्रतिवर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 1499 दिनांक 02/11/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, जिसका कुल रकबा 4.80 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 1499	

अभ्यारण एसईजेड /से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	दिनांक 02/11/2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 1499 दिनांक 02/11/2023 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 1499 दिनांक 02/11/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में आवेदित भूमि कच्चा रास्ते से लगी है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत सिनखेडा जिला खरगोन के के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 20 दिनांक 20/02/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existing within lease area- No
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पश्चिम दिशा-जल रोकने की संरचना 140 मी पर एवं एक शेड 190 मी की दूरी पर है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 60 मी का गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है ।
	दक्षिण दिशा- नहर - 200 मी की दूरी पर है एवं पश्चिम दिशा-02 स्टॉप डैम क्रमश- 221 एवं 235 मी की दूरी पर हैं।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण खरगोन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न. 81 सरल क्रमांक 03 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	टोटल लीज एरिया लेंथ 676मी. में से 80 % (540.8m) फेन्सिंग का कार्य हुआ है। 20 % (135.2m) अभी बकी है।

ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार 250 पौधे लागाये जाने थे अतः 200 पौधे केशर एरिया व 7.5 मी. बेरियर जोन में लागाये गये हैं। किन्तु साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। बेरियर जोन लीज क्षेत्र के पश्चिमी दिशा में खुदा हुआ है जिसका पुर्नभरण कार्य करा रहे हैं।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई। टोटल लीज एरिया लेंथ 660मी. में से केवल 253मी. गारलेण्ड ड्रेन बना हुआ है। 407मी बकी है। सेटलिंग टैंक नहीं बना है।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बेंचेस की स्थिति।	पिट्स अवलोकित नहीं है।
रेस्ट शेल्टर, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था की वर्तमान स्थिति	सभी सुविधाओं के साथ रेस्ट शेल्टर का निर्माण करवाया गया है। जिसमें शौचालय व पीने के पानी की व्यवस्था भी उपलब्ध है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य पाई गई

1. अनुमोदित खनन स्कीम अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – स्टोन गिट्टी – 24832 घनमीटर/वर्ष, ओवरबर्डन – 12800 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. **8.76** लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. **4.14** लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.20 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	
Provision of 3 KWA Solar Pannel at Govt. Middle School Sinkheda	Rs.1,20,000/-

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम **1390** वृक्षों का वृक्षारोपण ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि लीज क्षेत्र अधिसूचित क्षेत्र में आता है अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम सभा की पेसा संबंधी अनापत्ति/अभिमत अपलोड होने पर पर्यावरणीय स्वीकृति अनुषंसा प्रेषित की जायेगी।

1. Case No P2/1624/2025 SHRI KAMAL SINGH S/O. SHRI AMAR SINGH MEWADA NEAR KRISHNABAI ASHRAM, MALIPURA ALIPUR ASHTHADISTRICT- SEHORE (M.P.) Prior Environment Clearance for Sevda Murum Quarry of 2.00 Hectare Area, Khasra No. 1008, in Village- Sevda, Tehsil - Ashta, District – Sehore (M.P.) (Maximum Production – Murum -15,000 Cubic Meter) [539551] (B2)

The proposed mine is for prior environmental clearance under category B-2, in which today on 29/07/2025 the project proponent Shri Kamal Singh and his environmental consultant Smt. Meena Chaurasiya FAE, M/s Aseries Envirotek India Private Limited has made a presentation before the committee.

Project Details	Documents submitted by the project proponent	
Name and address of the project proponent	Kamal Singh, Near Krishna Bai Ashram, Malipura Alipur, Ashta, Sehore	
Khasra No. Area (Government/Private)	1008, Govt. Land	2.0 ha
Location	Village- Sevda, Tehsil - Ashta, District – Sehore (M.P.)	
lease approval	Issued vide letter no. 5393 dated 23/12/2024	
Blasting/Rock Breaker	Not Applicable	
crusher status	Not Applicable	
CTE	Consent No:CTE-130280 Outward No:26893,26/05/2025 PCB ID: 169495	
Production capacity	15,000 Cum/ Year	
Other mines within 500 meter radius	According to the Ekal certificate number 1136 dated 13/03/2025 of the Office Collector (Mineral Branch) District Sehore, there is no mine within the radius of 500 meters,	
Distance from National Park/Sanctuary/SEZ to Core/Biodiversity Buffer	According to the Ekal certificate number 1136 dated 13/03/2025 of the Office Collector (Mineral Branch) District Sehore. There is no National Park/Sanctuary/SEZ to Core/Biodiversity Buffer	
Situation of forest area at a distance of 250 meters from the proposed site	According to the Ekal certificate number 1136 dated 13/03/2025 of the Office Collector (Mineral Branch) District Sehore, there is no Situation of forest area at a distance of 250 meters from the proposed site	
Tehsildar's objection	As per Ekal certificate No. 1136 dated 13/03/2025 of the Office Collector (Mineral Branch) District Sehore, there is no any human habitation/ educational institution/ hospital/ archaeological heritage/	

	monument of national importance/ railway line/ public building/ cremation ground/ national highway/ state highway/ sensitive areas like radio station, Doordarshan, airport, defence institute etc. within 500 meters from the quarry/ mining lease
NOC from Gram Sabha/Gram Panchayat	As per the resolution proposal number 02 of Gram Panchayat Sevda 02/10/2024 District Sehore the Panchayat has no objection to the mining work at the proposed site.
Present status of trees at the proposed site	Tree Existing within lease area - No
Current status of the proposed site as per Google Image	South- Religious place- 214mt. and South -West- Reservior- 365 mt.
Status of the proposed mine in the district survey report	According to Ekal उक्त खदान नवीन डी.एस.आर में जोड़ी जाएगी ।

During presentation as per Google image based on coordinates provided by PP, it was observed that old pit is existed, PP submitted that it was very old mine pit existed they have got the lease in such condition and pit have shown in the surface map of Mining plan.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुषंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्पादन क्षमता – मरुम 15,000 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 18.69 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.17 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.30 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	
शासकीय माध्यमिक स्कूल सेवदा में 12 साइंस प्रेक्टिकल किट एवं 6 रोबोटिक्स किट	60,000

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 990 वृक्षों का वृक्षारोपण ।

2. Case No. P2/1628/25, Shri Nikita Singh W/o Shri Yogendra Singh R/o:Vill: Bolayi, H.no 261, Tehsil-Gulana, District:- Shajapur, State: -Madhya Pradesh Prior Environment Clearance for Gulana Stone (Gitti&M-sand) Quarry in an area of 2.0 ha. [Stone (gitti)- 2,000 m³/year & M-sand: 8,000 m³/year], (Khasra No. 1320 (Govt. Land), Village- Gulana, Tehsil- Gulana, District- Shajapur (M.P.) [539789] (Fresh -B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 29/7/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार श्री शिशुपाल वर्मा, M/s. Super Tech Environmental Services, Bhopal (M.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Nikita Singh, Lessee, R/o-Village-Bolai, Tehsil- Gulana, District-Shajapur, M.P.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1320 (सरकारी भूमि)	2.0 hectare.
स्थल	ग्राम गुलाना, तहसील एवं जिला शाजापुर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 1530 दिनांक 27/09/2024 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित है ।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा Outward No: 21972 दिनांक 28/05/2025 जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता Consent to Establish upto 30/04/2030	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता गिटटी 2000 – घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम-सैंड 8,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता गिटटी 2000 – घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम-सैंड 8,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 614 दिनांक 09/4/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, जिसका कुल रकबा 4.5 हे. अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी	

	का है।
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण एसईजेड /से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 614 दिनांक 09/4/2025 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 614 दिनांक 09/4/2025 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 614 दिनांक 09/4/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में आवेदित भूमि कच्चा रास्ते से लगी है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गुलाना जिला शाजापुर के दिनांक 14/04/2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existing within lease area -No.
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि :- —उत्खनिपट्टे के उत्तर पूर्वी दिशा में 80 मीटर की दूरी पर अन्य खदान का साइट ऑफिस स्थित है। —उत्खनिपट्टे के उत्तर दिशा में 137 मीटर एवं 190 मीटर की दूरी पर कुछ स्ट्रक्चर परिलक्षित हो रहे हैं जिनके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त कमरे स्थानीय किसानों द्वारा अपने खेतों में सामान भूसा आदि रखने के लिए बनाये गए हैं जो कि जर्जर हालत में हैं जिनमें कोई निवास नहीं करता एवं उक्त के जी.पी.एस कोऑर्डिनेट्स वाले छायाचित्र प्रस्तुत किये गए पश्चिम दिशा— —उत्खनिपट्टे के पश्चिम दिशा 140 मीटर की दूरी पर एक पक्का रोड स्थित है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्खनिपट्टे में खनन कार्य बिना ब्लास्टिंग के रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा । — उत्खनिपट्टे के उत्तर पश्चिम दिशा में 340 मीटर पर एक स्ट्रक्चर परिलक्षित रहा है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि स्थानीय किसान द्वारा निजी खेत में शेड बना रखा है । दक्षिण दिशा— उत्खनिपट्टे से दक्षिण दिशा में लगभग 217 मीटर पर एक नाला स्थित है एवं उक्त नाले के ऊपर लगभग 360 मीटर की दूरी पर एक केसकैड स्थित है ।

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 614 दिनांक 09/4/2025 के उक्त उत्खनिपट्टा को नवीन जिला सर्वेक्षण में सम्मिलित कर लिया जावेगा
---	---

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा पाया गया कि उत्खनिपट्टा खुदा हुआ परिलक्षित हो रहा है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि उक्त उत्खनिपट्टा प्रस्तावक के नाम पर जारी सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 20-04-2023 से पूर्व का खुदा हुआ है जो कि गूगल सैटेलाइट इमेज के माध्यम से बैंक डेट करके देखा गया एवं खुदे हुए क्षेत्र को अनुमोदित खनन योजना के नक्शों में भी दर्शाया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुषंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्पादन क्षमता – गिट्टी पत्थर 2000 घनमीटर/वर्ष एवं एम् सैंड – 8000 घनमीटर/वर्ष।
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खनन हेतु ब्लास्टिंग प्रक्रिया प्रस्तावित नहीं है।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में कशर / एम सैंड प्लान्ट प्रस्तावित है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित कशर / एम सैंड प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 15.93 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.97 लाख प्रति वर्ष।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.30 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
1.	Solar panel system of 2.0 kw capacity will be installed at village primary school Pampapur along with covering of its open area and educational paintings on its wall.	1,30,000/-
	योग	1,30,000/-

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण।

3. Case No P2/1629/2025 YASHWANT GOSHI, Owner, r/o Kanera Deosagar Tehsil and district Sagar (M.P.). Prior Environment Clearance for Masanjhiri Murram Quarry area 1.7 ha. (Murrum - 23556.6 cum per annum) (Khasra No. 64 (part)) Village- Masanjhiri, Tehsil- Sagar, District- Sagar (M.P.).[533677] (DEIAA) (B2)

प्रकरण आज सेक की 815वीं बैठक दिनांक 29/07/2025 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए एवं ऑनलाईन भी नहीं जुड़े। समिति ने चर्चा उपरान्त निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से कोई सूचना भी प्राप्त नहीं है। प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

4. Case No P2/1633/2025 Shri Himanshu Dubey S/o Shri Brajmohan Dubey, Village-Pachore, Tehsil-Pachore, District-Rajgarh (M.P.) Prior Environment Clearance for Pachore Crusher Stone Quarry, area 1.0 Ha, (maximum production 2,940 Cubic Meter Per Annum), Khasra no- 55,78 Village-Pachore, Tehsil- Pachore, District- Rajgarh, State Madhya Pradesh [476944] (B2)(DEIAA)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 29/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Himanshu Dubey, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Shri Pradeep Lodhi M/s OCEAO-ENVIRO Management Solutions (India) Private Limited, Ghaziabad (U.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना की रूपरेखा

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Himanshu Dubey, Himanshu Dubey S/O Brajmohan Dubey Resi-Village-Pachore, Tehsil-Pachore District-Rajgarh (M.P.) – 465683. <i>Prior Environment Clearance for M/s Pachore Crusher Stone Quarry at Khasra no- 55,78(Govt. Land), Village- Pachore, Tehsil- Pachore, District- Rajgarh, and State- Madhya Pradesh over an area of 1.0 Ha. The project proponent is intended to the maximum production 2,940 Cubic Meter Per Annum. B2- Case. SIA/MP/MIN/476944/2025.</i>	
परियोजना का खसरा नं. /लीज क्षेत्रफल	[kljk ua-& - 55, 78.	,fj;k & 1.00 ha., ‘‘kkldh; Hkwfe
परियोजना स्थल	Village- Pachore, Tehsil- Pachore, District- Rajgarh (M.P.).	
Description of Project	Pachore Crusher Stone Quarry (LOI Vide letter no. प्र.क्र.7751-52/उ.प्र.नव-ग्रुप/2/न.क्र.32/2021, भोपाल, दिनांक 28/6/21) is situated at Khasra no- 55,78 Village- Pachore, Tehsil- Pachore, District- Bhopal, and State- Madhya Pradesh over an area of 1.0 Ha. The project proponent is intended to the maximum production 2,940 Cubic Meter Per Annum (within 5 years). The estimated project cost is Rs. 30 Lakhs.	
सैधातिक सहमति	कार्यालय डी.जी.एम. भोपाल के पत्र क्र0. 7751 दिनांक 28/06/2021.	
परियोजना की श्रेणी	बी-2.	
जल/वायु सम्मति	PCB ID: 19001, Consent No:CTE-66625, Consent up to 19/06/2030. Issued date 28/02/2020.	

खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Controlled blasting will be done by professionals.
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के पत्र क्रमांक 281 दिनांक 29/04/2016 द्वारा Stone Mining- 2,940 m3/Year. हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।
उत्पादन क्षमता	➤ Stone Mining- 2,940 m3/Year.
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1128 दिनांक 21/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत है जिनका कुल रकबा 4.60 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1128 दिनांक 21/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1128 दिनांक 21/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि संबंधी जानकारी नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	नगर परिषद् – पचोर, जिला – राजगढ़ द्वारा पत्र क्र0. 1328 दिनांक 20/09/2018 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि लीज क्षेत्र के दक्षिणी ओर कुछ पेड़ हैं जो नहीं काटे जाएंगे।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा- .शेड-264 मी. एवं साइट ऑफिस – 78 मी. उत्तर पूर्वी दिशा में हाउस –221 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के पत्र क्रमांक 522 दिनांक 27/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खदान का नाम आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जावेगी।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए:-

- डिया द्वारा जारी ईसी शर्तों का पालन प्रमुख रूप से लीज एरिया के चारो ओर फेन्सिंग, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक का निर्माण, बैरियर जोन संरक्षण की स्थिति आदि संबंधित जियोटेग फोटोग्राफ तथा सीईआर कार्यों संबंधित प्रमाणित दस्तावेज।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ओएम दिनांक 14/01/2025 के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कमेन्ट्स/सीटीई (अद्यतन) की प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें।

- समिति द्वारा सुझाए अनुसार ईएमपी में पृष्ठ-9 पर वेस्ट वाटर को टैंकर द्वारा डिस्पोजल प्रस्तावित किया गया है । यह नियमानुसार उचित नहीं है अतः सेप्टिकटैंक सोकपिट का प्रस्ताव शामिल कर परिवेष पोर्टल पर अपलोड करें ।

5. Case No 9580/2023 Shri Ram Singh Ahirwar S/o Shri Imarat Singh Ahirwar, R/o Village-Murel Kalan, Post-Murel Khurd, Tehsil-Raisen, District Raisen(MP)-464551, Prior Environment Clearance for Murel Kalan Flag Stone Quarry area 1.00 ha. (Production – 1200 m3/ year Flag Stone) (Khasra No. 254/1), Village-Murel Kalan, Tehsil-Raisen, District-Raisen (MP) [521823] (EIA)

The proposed mine is of prior environmental clearance under category B-1, in which today on 29/07/2025 the project proponent's environmental consultant Shri Varun Bhardwaj, M/s. Zenith Environment Consultancy, Noida (U.P.). and made a presentation before the committee.

Project Details	Documents submitted by the project proponent	
Name and address of the project proponent	Ram Singh Ahirwar S/o Shri Imarat Singh Ahirwar R/o Village – Murel Kalan, Post – Murel Khurd Tehsil & District - Raisen State: Madhya Pradesh	
Khasra No. Area (Government/Private)	254/1 , Govt. Land	1.0 ha
Location	Village – Murelkalan Tehsil & District – Raisen State – Madhya Pradesh	
lease approval	Vide Letter no. 6042-44/KHANIJ/N.Kr.04/2022 Bhopal, dated 29.04.2022	
ToR	Latter no. 3144/ SEIAA/23 Dated 21/03/2023, 774वीं SEIAA बैठक दिनांक 16.03.2023 एवं 623वीं SEAC समिति बैठक दिनांक 22.02.2023	
Blasting/Rock Breaker	Not Applicable	
crusher status	Not Applicable	
CTE	Consent No:CTE-130280 Outward No:26893,26/05/2025 PCB ID: 169495	
Production capacity	1,200 Cubic meters per years of Flag stone	
Other mines within 500 meter radius	According to the Ekal certificate number 358 dated 20/05/2022 of the Office Collector (Mineral Branch) District Raisen, 03 उत्खनिपट्टा स्वीकृत हैं। (क्षेत्रफल 5.000 हे०),	
Distance from National Park/Sanctuary/SEZ to Core/Biodiversity Buffer within 10km	According to the Ekal certificate number 358 dated 20/05/2022 of the Office Collector (Mineral Branch) District Raisen. There is no National Park/Sanctuary/SEZ to Core/Biodiversity Buffer	
Situation of forest area at a distance of 250 meters from the proposed	According to the Ekal certificate number 358 dated 20/05/2022 of the Office Collector (Mineral Branch) District Raisen, वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल रायसेन के पत्र क्रमांक/मा.चि. / 1461 रायसेन, दिनांक	

site	06/08/2021 के अनुसार उक्त आवेदित स्थल का संयुक्त सीमांकन प्रतिवेदन दल द्वारा निर्धारित की गई प्रश्नाधीन खदान की वनसीमा से न्यूनतम 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। संभागीय आयुक्त समिति की अध्यक्षता में गठित समिति के कार्यवाही विवरण दिनांक 04/09/21 को चैनल फेंसिंग की शर्त पर अनुमति प्राप्त है।
Tehsildar's objection	no As per Ekal certificate No. 358 dated 20/05/2022 of the Office Collector (Mineral Branch) District Raisen, there is no any human habitation/ educational institution/ hospital/ archaeological heritage/ monument of national importance/ railway line/ public building/ cremation ground/ national highway/ state highway/ sensitive areas like radio station, Doordarshan, airport, defence institute etc. within 500 meters from the quarry/ mining lease
NOC from Gram Sabha/Gram Panchayat	As per the resolution proposal number 12.1 of Gram Panchayat Murelkalan 02/03/2021 District Raisen the Panchayat has no objection to the mining work at the proposed site.
Present status of trees at the proposed site	No Tree within lease area
Current status of the proposed site as per Google Image	North- East direction - Pucca Road- 298mt.and Habitation - 446 mt.
Status of the proposed mine in the district survey report	Lease area details shall be included in the DSR as per Collector Office letter no. 1047 dated 12.09.22 .
Public Hearing	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

PP's Env. Consultant submitted following details about the proposed project: -

- The proposed project Murel Kalan Flag Stone Quarry Project is situated over an area – 1.00 Ha in Village – Murel Kalan , Tehsil & District – Raisen, and State- Madhya Pradesh.
- It is proposed as a fresh quarry lease.
- The Lease has been granted for the period of 10 years (Date of Grant 20/05/2022).
- Quarry Lease Principally Sanctioned to Shri Ram Singh Ahirwar. Prop:- Shri Ram Singh Ahirwar by directorate of Geology and Mining Bhopal, A Vide

Order No. Kr.6042-44/KHANIJ/N. KR.04/U.P./2022 Bhopal, dated 29.04.2022

- The Maximum Production Capacity is 1,200 Cum/Year.
- The Expected life of mine is 50 Years.
- The land status is Govt. Land.
- There is no forest land within the area.
- There is no legal case against the project and project proponent.
- This Mining project falls under category “B1” Project or activity 1(a) as per EIA Notification 2006 and its subsequent amendments thereof and the order of Hon’ble NGT (PB) dated 27-12-2018.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुषंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्पादन क्षमता – फ्लेग स्टोन—1680 टीपीए।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 8.38 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.12 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 3.0 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

Sr. No.	Description	Cost to be incurred (in Rs./Year)
1.	Regarding installation of 03 Kw Solar Panel Govt. Middle School, Village Murel Kalan	2,30,000
2.	Will provide shed & water facility at Cremation Ground, Village Murel Kalan	20,000
3.	The project proponent will arrange	20,000

	for nature-themed paintings to be created at the Govt. Middle School, Village Murel Kalan	
4.	Regarding installation of 01 water cooler in Govt. Middle School, Village Murel Kalan	30,000
Total		3,00,000

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण ।

6. Case No 10870/2023 Shri Sandeep Agnihotri, Owner, Giradharlal Mandir Ke Pass, Nowgaon, District-Chhatarpur (MP)-471201, Prior Environment Clearance for M/s Mudwara Stone & MSand Quarry area 3.00 ha. (Stone-30000, M-Sand40000 cum per year) (Khasra No. 1/2/2KHA), VillageMurwara, Tehsil-Nowgong, District-Chhatarpur (MP) [539935] (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए है, जिसमें आज दिनांक 29/7/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार Ram Milan Pathak, from M/s. Visiontech Environment & Survey Work Pvt. Ltd. Bhopal उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri SANDEEP AGNIHOTRI, OWNER, Giradharlal Mandir ke Pass Nowgaon, District Chhatarpur, Madhya Pradesh 471201.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1/2/2KHA (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.00 hectare.
स्थल	VILLAGE MUDWARA, TEHSIL NOWGAON, DISTRICT CHHATARPUR (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 1135 दिनांक 02/06/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित नहीं है ।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के Outward No:22653 दिनांक 22/04/2025 के द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 14/04/20230 तक है ।	
टॉर	सेक की 714वीं बैठक दिनांक 18/01/2024 को टॉर अनुशंसित । सिया के पत्र क्रमांक 366 दिनांक 06/05/2024 के द्वारा पत्थर-30,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड-40,000 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम उत्पादन क्षमता एम सेंड एवं पत्थर-70,000 घनमीटर/वर्ष (पत्थर-30,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड-40,000 घनमीटर/वर्ष) हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्पादन क्षमता पत्थर-70,000 घनमीटर/वर्ष (पत्थर-30,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड-40,000 घनमीटर/वर्ष) है।	

	(अपलोड खनन् योजना सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड)
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2846 दिनांक 13/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 11 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 29.787 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2846 दिनांक 13/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2846 दिनांक 13/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चौवारा जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-3 दिनांक 16/08/12 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	No Tree within lease area.
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	In the South East direction- Habitation- 130 m , 30 meter set back is proposed
	North Direction- Natural drain – 220m & 311m
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-90 के सरल क्रमांक-17 पर दर्ज है।
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई में ब्लास्टिंग की वजह से घरों में होनेवाले नुकसान होने संबंधी आपतियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

After presentation the committee asked PP to submit following information: -

After presentation the committee asked PP to submit following information: -

--

- EIA, TOR compliance points 8-12 , Page 13 points 1,2,5,6, Page 14 additional TOR point 1,3,4 reply is not proper please incorporate proper reply with chapter reference.
- EIA page 99- para 3.11.3 demography data needs to be revised . Table 3.28 “Sehore” is mentioned please clarify. Page 107 4.4.3 and 4.4.4 acid mine discharge and water requirement needs correction. Page 110 table 4.5 methane is mentioned ? table 4.5.4 meteorological data Oct. To Dec. 2023 do not match with baseline data period Oct. 2023- Feb. 2024.
- EIA report do not have photographs in support of base line study data and no budget provision in EMP proposal.
- Revised surface map to be submitted with mineable & non- mineable area.

7. Case No P2/1632/2025 Shri. Mragendra Kumar Shivhare, lessee, VILLAGE/POST, DIDWARA, Chhatarpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Bamhori Stone (Boulder, Gitti, M-Sand) Quarry, area 4.0 ha. (Boulder- 55118 cum/year, M-Sand - 25439 cum/year, Gitti - 20139 cum/year) (Khasra No. 78) Village Bamhori, Tehsil Lavkushnagar, District Chhatarpur (M.P.) [528665]DEIAA Case. (B2).

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 29/7/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार Smt. Meena Chourasiya (FAE) M/s, Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री MRAGENDRA KUMAR, lessee, VILLAGE/POST, DIDWARA, Chhatarpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	78 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.0 hectare.
स्थल	Village Bamhori, Tehsil Lavkushnagar, District Chhatarpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 12506 दिनांक 20/09/2023 के द्वारा 10 वर्ष के लिए नवकरण स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	DEIAA प्रकरण।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया छतरपुर के पत्र क्रमांक 4745 दिनांक 24/09/2018 के द्वारा पत्थर- 1,00,000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	आवेदित स्थल पर क्रेशर प्रस्तावित नहीं है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के Outward No:15560 दिनांक 25/06/2019 के द्वारा जारी संचालन सम्मति (सीटीओ) की वैधता दिनांक 23/06/2020 तक थी।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Boulder- 55118 cum/year, M-Sand - 25439 cum/year, Gitti - 20139 cum/year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Boulder- 55118 cum/year, M-	

	Sand - 25439 cum/year, Gitti - 20139 cum/year है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक-07 दिनांक 01/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण/ एसईजेड से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक-07 दिनांक 01/01/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक-07 दिनांक 01/01/2024 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक-07 दिनांक 01/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बम्हौरी जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-9 दिनांक 02/10/2011 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है का प्रस्ताव पारित।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र में 12 पेड़ हैं जिनमें से कोई भी पेड़ काटा नहीं जावेगा।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा – स्कूल 240 मी एवं उत्तर पूर्व दिशा-आबादी 320 मी दक्षिण पूर्व दिशा – पक्का रोड 260 मी
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-163 के सरल क्रमांक-13 पर दर्ज है।

During presentation Env. Consultant submitted following chronology of the project: -

- Lease period of 1st grant - 10/07/2012 to 09/07/2022

- DEIAA Grant – Letter no. 4745 dated 24/09/2018
- CTO grant – 25/06/2019 to 23/06/2020
- Less working done due to Corona and after that lease period over.
- Renewal application – 20/01/2022
- Renewal grant of lease - 20/09/2023, for 10 years from 10/07/2022
- New mining plan approval – 05/12/2023
- SEIAA application – 10/03/2025

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं किया गया है, इसलिए डिया की शर्तों का पालन पूर्णतः नहीं हुआ है। मात्र ओबी हटाने का कार्य किया है।

समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	टोटल लीज बाउण्ड्री लेंथ 820 मी. में फेंसिंग की गई थी किन्तु वर्तमान में केवल 50 प्रतिशत फेन्सिंग है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	पट्टेदारा द्वारा बताया गया कि 100 पौधे लगाये गये थे किन्तु वर्तमान में कुल 15 पौधे लीज क्षेत्र की बाउण्ड्री से लगे हुये हैं।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई। गारलेण्ड एवं सेटलिंग टैंक नहीं बना है।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	पिट्स अवलोकित नहीं है।
रेस्ट शेल्टर, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था की वर्तमान स्थिति	नहीं है।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ओएम दिनांक 14/01/2025 के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कमेन्ट्स/सीटीई (अद्यतन) की प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें।
- ईएमपी में वर्कशॉप का उल्लेख किया है, क्या वर्कशॉप लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है ? सरल क्रमांक 08 में क्रशर यूनिट लीज में दर्शायी गई है जबकि आपके द्वारा बताया गया कि क्रशर की स्थापना लीज के बाहर है, अतः स्थिति स्पष्ट करें।

8. Case No P2/1630/2025 Shri RAKESH PATIDAR, Owner, s/o Rambabu patidar, gram khokrakalan, tehsil- kalapipal, ward no. 2, District-Shajapur (MP) Prior Environment Clearance for Chhapri Stone Quarry, area 1.590 ha. (Production - 8550 cum per year) (Khasra No. 77/5/2, 77/5/3), Village- Chhapri, Tehsil Kalapeepal District-Shajapur (MP) [472385] (DEIAA) (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 29/7/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार श्री प्रदीप लोधी एफ.ए.ई., मेसर्स Oceao Enviro Management Solutions India Pvt Ltd., Ghaziabad (UP) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri RAKESH PATIDAR, Owner, S/o Rambabu patidar, gram khokrakalan, tehsil- kalapipal, ward no. 2, District-Shajapur (MP)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	77/5/2, 77/5/3 (निजी भूमि)	1.590 hectare.
स्थल	ग्राम छापरी, तहसील कालापिपल, जिला शाजापुर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 752 दिनांक 05/07/2016 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	NA	
प्रकरण की स्थिति	डिया (डिया पत्र क्रमांक 999 दिनांक 27/10/2016)	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	NA	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा Outward No: 20732 दिनांक 08/02/2024 जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता grant consent up to 30/09/2024	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन - 8550 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन - 8550 घनमीटर प्रतिवर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 501 दिनांक 11/3/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण एसईजेड /से	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 501 दिनांक 11/3/2024 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल	

दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 501 दिनांक 11/3/2024 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 501 दिनांक 11/3/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में आवेदित भूमि कच्चा रास्ते से लगी है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत छापरी जिला शाजापुर के दिनांक 26/02/2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में पेड़ लगे हुए हैं
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- पक्का रोड 214 मी.
	पूर्व दिशा- तालाब 470 मी.
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण शाजापुर जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न. 40 एवं 41 सरल क्रमांक 52 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया है कि लीज क्षेत्र का दक्षिण पश्चिमी भाग जो पेड़ों से आच्छादित है इसको गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा गया है एवं कोई भी पेड़ काटा नहीं जाएगा।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ओएम दिनांक 14/01/2025 के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कमेन्ट्स/सीटीई (अद्यतन) की प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें।
- डिया द्वारा जारी ईसी शर्तों का पालन प्रमुख रूप से लीज एरिया के चारो ओर फेंसिंग, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक का निर्माण, बैरियर जोन संरक्षण की स्थिति आदि संबंधित जियोटेग फोटोग्राफ तथा सीईआर कार्यों संबंधित प्रमाणित दस्तावेज।
- समिति द्वारा सुझाए अनुसार संशोधित ईएमपी (वायर फेंसिंग/सोलर पैनल शामिल करते हुए आवश्यक बजट) । समिति द्वारा सुझाए अनुसार संशोधित सीईआर योजना(ग्राम की शासकीय शाला में सोलर पैनल एवं साइंस किट का प्रस्ताव)।

16. Case No P2/1631/2025 Shri Rajendra Singh Rajput, (Owner) . Pink avenue, mala khedi road, hoshangabad (M.P)- 461001 Prior Environment Clearance Temla Kalan Murrum Quarry, Area. - 2.00 ha. (Production- 16,200 Cubic Meters /annum)Village-Temla Kalan, Tehsil—Dolariya, District Hoshangabad, State-Madhya Pradesh Khasra No 31 (Pvt. Land) [520677] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 29/7/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार श्री प्रदीप लोधी एफ.ए.ई., मेसर्स Oceao Enviro Management Solutions India Pvt Ltd., Ghaziabad (UP) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री Rajendra Singh Rajput, owner, Pink avenue, mala khedi road, hoshangabad (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	31 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village- TEMPLA KALAN Tehsil - Seoni-Malwa District - Hoshangabad (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला होशंगाबाद के आदेश क्रमांक 753 दिनांक 15/10/2016 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	DEIAA प्रकरण।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया होशंगाबाद के पत्र क्रमांक 602 दिनांक 06/09/2016 के द्वारा मुरम-16200 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार आवेदित स्थल पर केशर प्रस्तावित है ।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के पत्र 30/09/2016 के द्वारा जारी स्थापना सम्मति प्राप्त थी ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरम-16200 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरम-16200 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 201 दिनांक 16/05/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	

राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण/ एसईजेड से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 201 दिनांक 16/05/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 201 दिनांक 16/05/2024 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 201 दिनांक 16/05/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत टेमला कलां जिला होशंगाबाद के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 26/01/2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है का प्रस्ताव पारित ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Within lease area -No tree is existing -
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा- पक्का रोड 390 मी.
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-32 के सरल क्रमांक-19 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ओएम दिनांक 14/01/2025 के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कमेन्ट्स/सीटीई (अद्यतन) की प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें।

- डिया द्वारा जारी ईसी शर्तों का पालन प्रमुख रूप से लीज एरिया के चारो ओर फेन्सिंग, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक का निर्माण, बैरियर जोन संरक्षण की स्थिति आदि संबंधित जियोटेग फोटोग्राफ तथा सीईआर कार्यों संबंधित प्रमाणित दस्तावेज ।
- समिति द्वारा सुझाए अनुसार संशोधित ईएमपी (वायर फेंसिंग/सोलर पैनल शामिल करते हुए आवश्यक बजट) । समिति द्वारा सुझाए अनुसार संशोधित सीईआर योजना(ग्राम की शासकीय शाला में सोलर पैनल एवं साइंस किट का प्रस्ताव)।

Additional Agenda with permission of Honable Chairman

17. **Case No 10141/2024 Shri Khem Yadav, Owner, R/o House No. 155, Gram-Mangeli, Tehsil-Jabalpur, District-Jabalpur (MP)-482051, Prior Environment Clearance for M/s Dhadra Crusher Stone area 1.40 ha. (Stone-10285, Murum-7770 cum per year) (Khasra No. 112/2), Village- Dhadra, Tehsil-Jabalpur, District-Jabalpur (MP) [521970] (EIA Query Reply)**

Earlier this case was discussed in 807th SEAC meeting dated 03/07/2025 wherein Query was Raised

After presentation the committee asked PP to submit following information for further consideration of the project: -

1. EIA page 08/01 para 1.4 “scope of study” Raisen is mentioned? Page/16/1TOR three last columns reply requires updation , Page 18/1 and 19/1 TOR points 21,22, 23, 24, 25, 30 requires correction and reference of EIA chapter , relevant para etc.
2. EIA Page III / 42, III /47, III /52, III /58 photographs are geotags however dates are not visible. Page III/51, GW-1-GW-4 water samples must have details of type of source. Page III /55 MPN result seems to be on higher side. Page III /56 & page XI /140 concluded surface water category as C&B respectively, please clarify.

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 29/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इन्वायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया कि समिति द्वारा 807^{वीं} बैठक में ईआईए रिपोर्ट में सुझाए गए आवश्यक संशोधन कर परिवेश पोर्टल पर जानकारी अपलोड कर दी गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुषंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्पादन क्षमता — **Stone-10285, Murum-7770 cum per year** ।

2. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में कशर /एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 5.81 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 4.88 लाख प्रति वर्ष।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 0.90 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
1.	परियोजना प्रस्तावक के द्वारा ग्राम धादरा में खेलकूद के लिए 4 क्रिकेट किट और 2 बालीवाल, 2 बेडमिन्टन किट वितरण हेतु।	60,000
2	परियोजना प्रस्तावक के द्वारा ग्राम धादरा में 05 स्ट्रीट सोलर लाइट की व्यवस्था हेतु ।	30,000
	कुल	90,000

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1400 वृक्षों का वृक्षारोपण ।

18. Case No P2/1513/2025 Shri Amit Patidar, S/o- Shri Nemichandra Patidar, R/O -89143 Village - Ghegaon, Tehsil - Segaon, District- Khargone (M.P)-451442. Prior Environment Clearance for M/s Pokharkhurd Murram Quarry, area 1.800 hectares ,Khasra no. 2/1, Production - 10,000 Cubic meters/year, village Pokharkhurd, tehsil Khargone, and district Khargone.[519188] ((B2 Query Reply)

Earlier this case was discussed in 808th SEAC meeting dated 08/07/2025 wherein Query was Raised

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र में कुछ झाड़ियाँ हैं एवं दक्षिण दिशा में एक कच्चा रोड 97 मी. की दूरी पर, दक्षिण पूर्वी दिशा में 140 मी. की दूरी पर मंदिर एवं पूर्व दिशा में एक पक्का रोड 313 मी. की दूरी पर है।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

- ग्राम सभा की पेसा संबंधी अनापत्ति/अभिमत प्राप्त किया जावे ।
- ईएमपी में मॉनिटरिंग कास्ट एवं समिति द्वारा सुझाये अनुसार अन्य बिन्दुओं को संशोधित कर प्रस्तुत करें।

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 29/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्रीमती मीना चौरसिया, FAE, M/s Asries Envirotek India Pvt. Ltd., Lucknow उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया कि समिति द्वारा 808^{वीं} बैठक में निर्देशित जानकारी - पेसा ग्राम सभा ग्राम आसनगांव जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव दिनांक दिनांक 27/06/2025 प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पेसा ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। ईएमपी में मॉनिटरिंग कास्ट शामिल कर परिवेश पोर्टल पर जानकारी अपलोड कर दी गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुषंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्पादन क्षमता – Murum-10,000 cum per year.
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.61 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 3.95 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 0.9 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
1.	ग्राम पोखरखुर्द के सरकारी हाई स्कूल में 3 KWA का सोलर पैनल की स्थापना करवाया जायेगा।	Rs.1,00,000/-

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 900 वृक्षों का वृक्षारोपण ।

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. The project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
38. **लीज क्षेत्र के अंदर में केवल केशर /एम-सेड प्लांट स्थित है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
- खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
39. **केशर अथवा एम सेड प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है ,परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
- परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
 - खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
40. यदि आवंटित खनन पट्टा भू-स्वामी की सहमति /अनुबंध पर हो तो परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।
1. **क्षतिपूर्ति के संबंध में:-**
- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।

Annexure- 'B'**Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries***

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.

23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - d. Minalable Potential of sand mine.
 - e. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - f. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
38. The project proponent shall comply the MOEF&C’s O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
39. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
40. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।